

IN THE COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE XV Civil Court, Aurangabad, Bihar Probate case No. 36 of 2013 / 18 of 2021 Ram Prasad Sao Vs Jasoda Kuer			
Sl. No.	Date of Order of the proceeding	Order, with initials of the Court	Remarks, with action taken by the Office, if any.
1	2	3	4
	14.09.2021	<u>आदेश</u> आवेदकगण 1 ओम प्रकाश साव, 2 जय प्रकाश साव, 3 शशी भूषण कुमार, 4 महामाया कुमार एवं 5 रितेश कुमार की ओर से आदेश 22 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 04-08-2021 शपथ पत्र के साथ शक्ति पत्र, उपस्थिति पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ई फाइलिंग के द्वारा दाखिल किया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इस वाद के आवेदक स्व० राम प्रसाद साव की मृत्यु हो चुकी है वे अपने पीछे पांच पुत्रों को छोड़ गए हैं। मृत्यु प्रमाण की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न है। ओम प्रकाश साव, जय प्रकाश साव, शशी भूषण कुमार, महामाया कुमार एवं रितेश कुमार ही उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा स्व० राम प्रसाद साव के नाम को विलोपित करते हुए आवेदकगण का नाम पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना किया गया। सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी इस वाद में अनुपस्थित हैं। वाद एकपक्षीय है। आवेदकगण द्वारा आदेश 22 नियम 1 एवं 2 के तहत अपने आवेदन में कहा गया है कि आवेदक की मृत्यु दिनांक 02-03-2021 को हो गई है तथा वे अपने पीछे पाँच पुत्रों ओम प्रकाश साव, जय प्रकाश साव, शशी भूषण कुमार, महामाया कुमार एवं रितेश कुमार को छोड़ गए हैं। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा वंशावली के रूप में भी दर्शाया गया है साथ ही आवेदकगण की ओर से ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र राम प्रसाद साव का दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद के आवेदक राम प्रसाद साव की मृत्यु हो चुकी है। उनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाना न्यायहित में उचित है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों आवेदकगण के आवेदन दिनांक 04-08-2021 को स्वीकृत किया गया। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक राम प्रसाद साव के नाम को विलोपित करते हुए आवेदकगण का नाम 1 ओम प्रकाश साव, 2 जय प्रकाश साव 3 शशी भूषण कुमार, 4 महामाया कुमार एवं 5 रितेश कुमार को प्रतिस्थापित करें। दिनांक आवेदक के साक्ष्य हेतु। लेखापित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15 व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद	

IN THE COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE XV Civil Court, Aurangabad, Bihar Probate case No. 36 of 2013 / 18 of 2021 Ram Prasad Sao Vs Jasoda Kuer			
Sl. No.	Date of Order of the proceeding	Order, with initials of the Court	Remarks, with action taken by the Office, if any.
1	2	3	4
	Continued		

IN THE COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE XV Civil Court, Aurangabad, Bihar Probate case No. 36 of 2013 / 18 of 2021 Ram Prasad Sao Vs Jasoda Kuer			
Sl. No.	Date of Order of the proceeding	Order, with initials of the Court	Remarks, with action taken by the Office, if any.
1	2	3	4